UPGK120033402022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बांसगांव, गोरखपुर।

मूलवाद संख्या–1005/2022

रमेश यादव ---बनाम ---रामसहाब यादव वगै०

दिनांक 14.03.2026 (राष्ट्रीय लोक अदालत)

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये व उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र 19 क 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पक्षगण एक ही खानदान के सदस्यगण है और काफी साल पूर्व पक्षगण के बीच मकान सहन अगवारा–पिछवारा खानदानी का आपस में खानगी तौर पर बंटवारा हो चुका है, लेकिन गलत राय मिलने के कारण प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध दावा इम्तनाई दायमी व बंटवारा का दाखिल कर दिया है जिसको आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादी को दावा उठाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र 19 क 2 वादी द्वारा दावा प्रत्याहरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादी दावा प्रत्याहरण के लिए स्वतंत्र होता है जिसको मुकदमा प्रत्याहरण की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थना–पत्र 19 क 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 19 क 2 स्वीकार किया जाता है। वादी को मुकदमा प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहम्मद जुनैद)
सिविल जज (जू०डि०), बांसागंव,
गोरखपुर।
J.O. Code– U.P. 4775